वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 15.07.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",दैनिक जागरण, अमर उजाला, आज, हिन्दुस्तान, ज्ञानशिखा टाइम्स, न्यायाधीश,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

दैनिक जागरण–दि0 15.07.2025

शिवपुर में तोड़ी अवैध प्लाटिंग

जागरण संवाददाता, वाराणसी : वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर सोमवार को वीडीए से बिना ले-आउट पास कराए जमीन की प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जोन एक के जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा ने बताया कि शिवपुर वार्ड के चंमाव में बवंडर बाबा मंदिर के पास विवेक यादव अवैध तरीके से जमीन की प्लाटिंग कर रहे थे।

अमर उजाला–दि0 15.07.2025

शिवपुर में वीडीए ने ध्वस्त कराई अवैध प्लॉटिंग

वाराणसी। वीडीए की ओर से सोमवार को शिवपुर में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई गई। शिवपुर वार्ड के विवेक यादव की ओर से चमाव बवंडर बाबा मंदिर के पास बिना लेआउट स्वीकृत कराए लगभग 4 बीघा में प्लॉटिंग की जा रही थी। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 15.07.2025

स्वीकृत मानचित्रों की संख्या में हुई बढ़ोतरी

वाराणसी। वीडीए की ओर से स्वीकृत मानचित्रों की संख्या में इजाफा हुआ है। वीडीए उपाध्यक्ष के अनुसार नियोजित विकास के लिए प्राप्त मानचित्रों की गहन समीक्षा कर स्वीकृति प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 में किसी भी मानचित्र को स्वीकृति नहीं दी गई। 2021-22 में सिर्फ एक मानचित्र स्वीकृत हुआ।

इसमें 15 भूखंड शामिल थे। 2022-23 में भी एक मानचित्र स्वीकृत हुआ, लेकिन इससे जुड़े भूखंडो की संख्या घटकर 4 रह गई। 2023-24 में स्वीकृत मानचित्रों की संख्या में 5 गुना वृद्धि हुई इसमें कुल 5 मानचित्रों को स्वीकृति दी गई। 105 भूखंडों को कवर किया गया। 2024-25 में यह संख्या 6 मानचित्र और 94 भूखंडों तक पहुंच गई। वहीं, 2025-26 (केवल जून 2025 तक) ही 3 मानचित्रों की स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें 66 भूखंड शामिल हैं। ब्यूरो

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

आज–दि0 15.07.2025

भवन मानचित्रपर नागरिकोंका जगा विश्वास

शहरमें विकासके लिए विकास प्राधिकरण मानचित्रोंका गहन परीक्षण कर स्वीकृति दे रही है। जो कि विभागकी यह पारदर्शिता नागरिकोंमें जागरुकता पैदा कर रही है।

वित्तीय वर्ष २०१९-२० में और २०२०-२१ में एक भी मानचित्र स्वीकृत नहीं किये गये थे। जबकि २०२१-२२ में इसकी शुरुआत हुई जिसमें एक मानचित्र और १५ भूखंडोंको अनुमति प्रदान की गयी थी। इसी प्रकार २०२२-२३ में एक मानचित्र और भूखंडोंकी संख्या घटकर चार हो गयी थी जिसपर स्वीकृति दी गयी। वहीं २०२३-२४ में पांच मानचित्रोंको अनुमति प्रदान की गयी जिसमें १०५ भूखंड भी शामिल हैं। छह मानचित्रोंको सहमति दी गयी जबकि ९४ भूखंडको स्वीकृति मिली। इस वर्ष जूनतक तीन मानचित्र और ६६ भूखंडोंको अनुमति प्रदान की जा चुकी है।

आज–दि0 15.07.2025

प्लाटिंगपर चली जेसीबी

विप्रा उपाध्यक्षके निर्देशपर शिवपुरके मौजा चमावमें विवेक यादव नामक व्यक्ति लगभग चार बीघा जमीनपर प्लाटिंग करा रहा था। शिकायतके आधारपर क्षेत्रके अवर अभियन्ता मौकेपर गये और इसकी पुष्टि की। अवर अभियन्ताके निरीक्षणके बाद जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्र, क्षेत्रीय सुपरवाइजर और पुलिसकी देखरेखमें बिना लेआउट स्वीकृत कराये प्लाटमें हो रहे निर्माणको जेसीबीकी मददसे ध्वस्त करा दिया गया।

हिन्दुस्तान–दि0 15.07.2025

वीडीए ने चार बीघा में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की

वाराणसी। वीडीए प्रशासन ने सोमवार को शिवपुर वार्ड के चमांव में चार बीघा में विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कर दी। चमांव में बवंडर बाबा मन्दिर के पास बिना ले-आउट स्वीकृत कराए निर्माण पर उप्र नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धाराओं में कार्यवाही की गयी। इस मौके जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा, जेई रोहित कुमार समेत अन्य मौजूद रहे।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 15.07.2025

जोन-1, वार्ड-शिवपुर में अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

वाराणसी। वार्ड–शिवपुर के अंतगर्त विवेक यादव द्वारा मौजा–चंमाव, बवंडर बाबा मन्दिर के दक्षीण

में बिना लेआउट स्वीकृत कराए लगभग 4 बीघा में अवैध प्लाटिंग किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 सुसंगत धारा के अन्तगर्त आज दिनांक 14.07.2025 को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा, अवर अभियंता रोहित कुमार तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

न्यायाधीश–दि0 15.07.2025

अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में जोन-1, वार्ड-शिवपुर के अंतर्गत में अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी। वार्ड-शिवपुर के अंतर्गत विवेक यादव द्वारा मौजा-चंमाव, बवंडर बाबा मन्दिर के दक्षीण में बिना लेआउट स्वीकृत कराए लगभग 4 बीघा में अवैध प्लाटिंग किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा, अवर अभियंता रोहित कुमार तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा